तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/8/19	पत्रावली पेश हुई। रेस्पोडेन्ट नं. 1 वा 2 व 12 तामील अप्राप्त नहीं। रेस्पोडेन्ट नं. 5, 6, 13 की ओर से आदेश किशोर एडवोकेट के वकालतनामा पेश किया वकील उभय पक्ष कारण अपील नामा के तहसीलदार के रिमाण्ड पर सहमत है। मूल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है। इसलिए मूल नामान्तकरण को तलब किया जाना आवश्यक नहीं है। उभयपक्ष अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण संख्या 589 दि० 5/11/2002 ग्राम पटीला तह० करौली से अपीलान्ट का नाम प्यारे लाल के स्थान पर पंखी संशोधित किये जाने पर सहमत है और कोई एतराज उभयपक्ष को नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील नामान्तकरण संख्या 589 ग्राम पटीला अपीलान्ट के पिता मेती व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 6 व 10 ता 16 के पिता व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 6 व 10 ता 16 के पिता मेती के विरासत का नामान्तकरण है जिसमें अपीलान्ट का नाम पंखी के स्थान पर प्यारेलाल गलत दर्ज हुआ है। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलान्ट को बिना सुने इस नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम प्यारेलाल दर्ज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है जिसे रिमाण्ड किये जाने का कथन किया है। नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम सही नाम पंखी दर्ज किये जाने के लिये अपीलान्ट को सुना जाना उचित प्रतीत होता है और नामान्तकरण तहसीलदार करौली को अपीलान्ट का सही नाम दर्ज किये जाने की जांच के लिये रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामा० संख्या 589 दि० 5.11.2002 तहसीलदार करौली को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये अपीलान्ट का सही नाम की जांच कर गुणावगुण के पर इनका [illegible] प्रति तहसीलदार	

रिमाण्ड किये जाने का कोई एतराज नहीं है।

रिमाण्ड करने या नाम परिवर्तन के लिये आपत्तिकर्ता अपीलान्ट का नाम सिर्फ नाम में कोई आपत्तिकर्ता है

(आदर्श मिश्रा एड०)

पंखी